

फाइल सं. ए.12018/ 46/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में आशुलिपिक ग्रेड-I, समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञ.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में आशुलिपिक ग्रेड-I, समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। baidyanath.prasad@nic.in

26/10/19
(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक २१०११९

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खड 3, उप-खड (1) मे प्रकाशनाथ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु तमिलनाडु में (आशुलिपिक ग्रेड-I) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1980 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु तमिलनाडु में आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती कि पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैंगलपट्टु तमिलनाडु में आशुलिपिक ग्रेड-I, समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में यें स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अर्हता-कोई व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या
(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूचा

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-I	दो पद * (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसंचिवीय	स्तर-6 (रु. 35400- 1,12,400) वेतन मैट्रिक्स	गैरचयन	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्ति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नही	2 वर्ष पदोन्नति के लिए	पदोन्नति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर 4 में आशुलिपिक ग्रेड-II - ग्रेड में दस	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं।

साल की नियमित सेवा के साथ।
 नोट: जहां जूनियर जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ को भी माना जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यता से कम न हों या ऐसी योग्यता / पात्रता सेवा के आधे से अधिक पात्रता सेवा या 2 साल, जो भी कम हो और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं जिन्होंने इस तरह की योग्यता / योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्र सरकार के तहत स्टेनोग्राफर का पद संभाल रहे अधिकारी

- (i) अभिभावक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण करना; या
- (ii) वेतन स्तर - 4 या समकक्ष में दस साल की नियमित सेवा के साथ

नोट 1:

फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्तिकर्ता पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

वरिष्ठतम उप निदेशक / वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन-अध्यक्ष
 वरिष्ठतम सहायक निदेशक - सदस्य
 प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य